भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2496

10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मेटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना

2496. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हेतु मेटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुकर बनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच. डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (ख): सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक पारितंत्र (इकोसिस्टम) के निर्माण हेतु प्रोत्साहन/दंड देने वाली एक प्रणाली शामिल है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अंतर्गत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्यों (आरवीएसएफ) और रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम जारी किए गए हैं, जो पर्यावरणीय विनियमों के अंतर्गत धातु और अन्य सामग्रियों की आगे की पुनःप्राप्ति के लिए प्रदूषण को कम करने और उपयोगिता अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) को नष्ट करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान करते हैं।
- इस्पात मंत्रालय के नियंत्राणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एमएसटीसी लिमिटेड ने महिंद्रा एक्सीलो के साथ महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) नामक एक

संयुक्त उद्यम के तहत नोएडा, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में छह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की हैं, जो अब प्रचालन में हैं।

- भारत सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।
- खान मंत्रालय ने औपचारिक और सुव्यवस्थित रीसाइक्लिंग पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020' की शुरुआत की है। फ्रेमवर्क में स्क्रैप के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए मानक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण संबंधी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है।

****